अध्याय प्रथम

प्रस्तावना

1.1 परिचय:

हम 21वीं शताब्दी के भारतीय होने पर गर्व करते हैं, किन्तु बहुत ही विडम्बना की बात है जब हमारे घर में बेटे का जन्म होता है तो हम खुशी का जश्न मनाते हैं और यदि एक बेटी का जन्म हो जाये तो शान्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि कोई भी जश्न नहीं मनाने का नियम बनाया गया हैं। लड़के के लिये इतना ज्यादा प्यार कि लड़कों के जन्म की चाह में हम प्राचीन काल से ही लड़कियों को जन्म के समय या जन्म से पहले ही मारते चले आ रहे हैं, यदि अपने सौभाग्य से वे नहीं मारी जाती तो हम जीवनभर उनके साथ भेदभाव के अनेक तरीके ढूँढ लेते हैं। हांलाकि, हमारे धार्मिक विचार औरत को देवी का स्वरुप मानते हैं, लेकिन हम उसे एक इंसान के रुप में पहचानने से ही मना कर देते हैं। हम देवी की पूजा करते हैं, पर लड़कियों का शोषण करते हैं। जहाँ तक कि महिलाओं के संबंध में हमारे दृष्टिकोण का सवाल हैं तो हमारे यहाँ दोहरे-मानकों का एक ऐसा समाज हैं जहाँ हमारे विचार और उपदेश हमारे कार्यों से अलग हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सरकार द्वारा महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार लाने तथा उन्हे विकास की मुख्य धारा में समाहित करने हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाओं और विकासात्मक कार्यक्रमों का संचालन किया गया है। महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में प्रवाहित करने, शिक्षा के समुचित अवसर उपलब्ध कराकर उन्हे अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति सजग करते हुए उनकी सोंच में मूलभूत परिवर्तन लाने, आर्थिक गतिविधियों में उनकी अभिरूचि उत्पन्न कर उन्हे आर्थिक-सामाजिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता और स्वावलम्बन की ओर अग्रसारित करने जैसे अहम उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पिछले कुछ दशकों में विशेष प्रयास किये गए हैं।

उन्नीसवीं सदी के मध्यकाल से लेकर इक्कीसवीं सदी तक आते-आते पुनः महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ और महिलाओं ने शैक्षिक, राजनीतिक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, प्रशासनिक, खेलकूद आदि विविध क्षेत्रों में उपलब्धियों के नए आयाम तय किये। आज महिलाएँ आत्मनिर्भर, स्वनिर्मित, आत्मविश्वासी हैं, जिन्होंने पुरूष प्रधान चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी अपनी योग्यता प्रदर्शित की है। वह केवल शिक्षिका, नर्स, स्त्री रोग की डाक्टर न बनकर इंजीनियर, पायलट, वैज्ञानिक, तकनीशियन, सेना, पत्रकारिता जैसे नए क्षेत्रों को अपना रही है। राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर श्रीमती प्रतिभा पाटिल, लोकसभा स्पीकर के पद पर सुमित्रा महाजन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे, सुषमा स्वराज, जयललिता, ममता बनर्जी, शीला दीक्षित आदि महिलाएँ राजनीति के क्षेत्र में शीर्ष पर हैं। सामाजिक क्षेत्र में भी मेधा पाटकर, श्रीमती किरण मजूमदार, इलाभट्ट, सुधा मूर्ति आदि महिलाएँ ख्यातिलब्ध हैं। खेल जगत में पी.टी. ऊषा, अंजू बाबी जार्ज, सुनीता जैन, सानिया मिर्जा, अंजू चोपड़ा आदि ने नए कीर्तिमान स्थापित किये हैं। आई.पी.एस. किरण बेदी, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स आदि ने उच्च शिक्षा प्राप्त करके विविध क्षेत्रों में अपने बुद्धि कौशल का परिचय दिया है। (यादव, 2015)

1.2 सैद्धांतिक पृष्ठभूमि:

'लिंग' सामाजिक-सांस्कृतिक शब्द हैं, सामाजिक परिभाषा से संबंधित करते हुये समाज में 'पुरुषों' और 'महिलाओं' के कार्यों और व्यवहारों को परिभाषित करता है जबकि, 'सेक्स' शब्द 'आदमी' और 'औरत' को परिभाषित करता है जो एक जैविक और शारीरिक घटना है। अपने सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं में, लिंग पुरुष और महिलाओं के बीच शक्ति के कार्य के संबंध हैं जहाँ पुरुष को महिला से श्रेंष्ठ माना जाता हैं। इस तरह, 'लिंग' को मानव निर्मित सिद्धान्त समझना चाहिये, जबकि 'सेक्स' मानव की प्राकृतिक या जैविक विशेषता हैं।

लिंग असमानता को सामान्य शब्दों में इस तरह परिभाषित किया जा सकता हैं कि, लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव। समाज में परम्परागत रुप से महिलाओं को कमजोर जाति-वर्ग के रुप में माना जाता हैं। वह पुरुषों की एक अधीनस्थ स्थिति में होती है। वो घर और समाज दोनों में शोषित, अपमानित, अक्रमित और भेद-भाव से पीड़ित होती हैं। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव का ये अजीब प्रकार दुनिया में हर जगह प्रचलित है और भारतीय समाज में तो बहुत ही अधिक है। भारतीय समाज में लिंग असमानता का मूल कारण इसकी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में निहित है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री सिल्विया वाल्बे के अनुसार, "पितृसत्तात्मकता सामाजिक संरचना की ऐसी प्रक्रिया और व्यवस्था हैं, जिसमें आदमी औरत पर अपना प्रभुत्व जमाता हैं, उसका दमन करता हैं और उसका शोषण करता हैं।" महिलाओं का शोषण भारतीय समाज की सदियों पुरानी सांस्कृतिक घटना है। पितृसत्तात्मकता व्यवस्था ने अपनी वैधता और स्वीकृति हमारे धार्मिक विश्वासों, चाहे वो हिन्दू, मुस्लिम या किसी अन्य धर्म से ही क्यों न हों, से प्राप्त की हैं।

1.2.1 जेंडर का विश्वव्यापी स्वरूप:

मानवशास्त्री और नारीवादी लेखिका Lynda Birke (1986) में अपनी पुस्तक Women, Feminism and Biology: The Feminist Challenges में सेक्स और जेंडर पर बहस के दौरान जीवविज्ञान को भी साथ में रखकर देखने की बात करती हैं जो कि मनुष्य के प्राकृतिक संबंधों को समझने का एक वैज्ञानिक नजरिया है। सेक्स और जेंडर दोनों में से कोई भी स्थिर नहीं है। जिस प्रकार मानव शरीर अपने आसपास के सामाजिक वातावरण के अनुकूल परिवर्तित होता रहता है उसी प्रकार सेक्स और जेंडर भी।

अमेरीकन विचारक और जेंडर सिद्धांतकार जूडिथ बटलर (1988) में 'Perfomative acts and gender constitution' निबंध में लिखते हैं कि जेंडर का संबंध समाज द्वारा स्वीकृत क्रियात्मक उपलब्धियों व निषेध से है या कहें कि यह एक शैली है जो समाज द्वारा निर्धारित सकेतों, आंदोलनों व अधिनियमों के गठन के तरीके के रूप में देखी जा सकती है, जो एक प्रकार से स्वयं को समझने का भ्रम उत्पन्न करता है व प्राकृतिक लिंग से अलग सामाजिक गतिविधियों व

क्रियाओं के रूप में सामने आता है। बटलर के अनुसार यह सामाजिक क्रियाएं, कार्यकलाप और गतिविधियाँ स्वयं भी जेंडर की निर्मिति करते हैं।

नारीवादी विचारक एलिसन जैग्गर सेक्स और जेंडर के संदर्भ में लिखती हैं 'इंसान का हाथ श्रम का औजार ही नहीं, श्रम की उपज भी है।' अर्थात मानवीय हस्तक्षेप बाहरी वातावरण को परिवर्तित करता है और साथ ही बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तनों से मानव शरीर में परिवर्तन और उसका स्वरूप निर्धारित होता है। इसका संदर्भ है कि सेक्स और जेंडर दोनों ही 'न्यूट्रल' नहीं हैं बल्कि एलिसन और lynda के मत के अनुसार कहा जाए तो 'परिवर्तनीय' हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार- Gender Refers to the socially constructed roles behavior actives, and attributes that given society considers appropriate for men and women.

जैविक बनावट और संस्कृति के अंतरसंबंधों की समझ को अगर हम जेंडर पर लागू करें तो निष्कर्ष यही निकलता है कि महिलाओं के शरीर की बनावट भी सामाजिक बंधनों और सौन्दर्य के मानकों द्वारा निर्धारित की गई है। शरीर का स्वरूप जितना 'प्रकृति' से निर्धारित हुआ है उतना ही 'संस्कृति' से भी। इस प्रकार महिलाओं की मौजूदा अधीनता, जैविक असमानता से नहीं पैदा होती है बल्कि यह ऐसे सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों और संस्थाओं की देन है जिसका उदाहरण ज्यां जांक रूसो हैं।

रूसो क्रांतिकारी राजनैतिक सिद्धांतों के सबसे जटिल बौद्धिक विचारक माने जाते हैं, स्त्रियों के संबंध में इनका कहना है 'स्त्री का निर्माण पुरुष को खुश करने के लिए विशेष तौर पर हुआ है। पुरुष की विशेषता उसकी शक्ति है, वह ख़ुशी देता है क्योंकि वह शक्तिशाली है। मैं स्वीकार करता हूँ कि यह प्रेम का नियम नया नहीं है, यह प्रकृति का नियम है, जो कि खुद प्रेम से भी पुराना है, यदि स्त्री का निर्माण पुरुष को खुश करने के लिए तथा उसके नियंत्रण में रहने के लिए हुआ है तो उसे ख़ुद को पुरुष की नजरों में अधिक आनंददाई बनाने की कोशिश करनी चाहिए, न की उसे नाराज करने की।' इस तरह रूसो स्त्री की चारित्रिक शुद्धता और पतितत्व की समझ को मजबूत करते हैं साथ

ही परिवार में 'पावर' अर्थात सत्ता के चरित्र को दिखाते हैं जिसका जिक्र 'फूको' ने भी किया है। रूसो के अनुसार बच्चों के संरक्षण के लिए 'पत्नी के लैंगिक स्वातंत्र्य पर पूर्ण नियंत्रण की जरुरत है।' (भसीन, 2000)

1.2.2 भारतीय संदर्भ में जेंडर:

भारतीय संदर्भ में जेंडर पर अभी बहस चल रही है। जिसमें कमला भसीन, उमा चक्रवर्ती, मैत्रयी कृष्णराज , शर्मिला रेगे और निवेदिता मेनन का नाम प्रमुख रूप से सामने आता है। कमला भसीन के अनुसार 'जेंडर सामाजिक-सांस्कृतिक रूप में स्त्री-पुरुष को दी गई परिभाषा है, जिसके माध्यम से समाज उन्हें स्त्री और पुरुष दोनों की सामाजिक भूमिका में विभाजित करता है। यह समाज की सच्चाई को मापने का एक विश्लेषणात्मक औजार है।' मैत्रयी कृष्णराज लिखती हैं समाज में जितनी भी आर्थिक और राजनैतिक समस्याएं हैं उनका संबंध जेंडर से है। 'जेंडर लिंग आधारित श्रम का विभाजन हैं जिसे पितृसत्ता ने सामाजिक अनुशासनों के द्वारा तय किया गया। जिसकी संकल्पना को परिवार और आर्थिक आधार पर खोजना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त जेंडर एक विश्लेषणात्मक श्रेणी है जो सामाजिक संरचना व उसके जटिल व्यवहारमूलक संबंधों को स्त्री-पुरुष के बीच के संबंधों को जानने का प्रयास करता है।' शर्मिला रेगे जेंडर को विचार की प्रक्रिया मानती हैं साथ ही ऐसा वर्ग है जिसमें कुछ संबंधों को रखा जाए और उनसे निर्मित संबंधों को जाना जा सके। उमा चक्रवर्ती भी सामाजिक संरचना को स्त्री की निर्मिती का कारण मानती हैं-'स्त्री का परिवेश उसकी पराधीनता की प्रकृति को तय करता रहा है।' निवेदिता मेनन भी जेंडर को सामाजिक निर्मिती का ही रूप मानती हैं साथ ही उनका मानना है की जेंडर की यह अवधारणा भारत में पहले से मौजूद रही है यह आधुनिक सभ्यता की देन नहीं है बल्कि 'प्राक आधुनिक भारतीय संस्कृति में विभिन्न प्रकार की यौन पहचानों के लिए कहीं अधिक व्यापक स्थान उपलब्ध था मसलन उस काल में हिजड़ों के पास भी एक सामाजिक स्वीकार्यता मौजूद थी जो समकालीन समाज में नहीं है। सूफी और भक्ति परम्पराएँ उभयलैंगिकता पर आधारित थी जो अकसर द्विलिंगी मॉडल को खारिज करते थे। दो शताब्दी पहले शिवभक्त देवरा दासीमय्या ने लिखा था-यदि स्तन

और लंबे बालों को देखते हैं / तो वह उसे स्त्री कहते हैं / अगर उन्हें दाढ़ी मूंछ दिखाई देते हैं/ तो वह उसे पुरुष कहते हैं / लेकिन भीतर देखो / इन दोनों के बीच जो आत्मा है/ वह न स्त्री है न पुरुष है ..' । भारतीय भाषाओं में इस तरह के कई उदाहरण देखे जा सकते हैं जो यह बताते हैं कि भारत में 'लिंग' और 'जेंडर' के अंतर को स्पष्ट करता विचार पहले से मौजूद रहा है। सेक्स और जेंडर के बीच के अंतर और समाज में निर्धारित उनकी भूमिका पर यदि बात करें तो इसका अध्ययन जेंडर के अंतर्गत किया जाता है।

जेंडर शब्द की उत्पति व उसके प्रयोग के संदर्भ में अलग-अलग मतों को अब तक जाना व समझा गया। विभिन्न भाषा वैज्ञानिक, समाजशास्त्री, इतिहासकार, मनोवैज्ञानिक, नृविज्ञानी, मानवशास्त्री, जीव वैज्ञानिक व नारीवादियों द्वारा जेंडर के संदर्भ में जो कहा गया उसे देखने और समझने का हमने प्रयास किया। जिसके आधार पर जेंडर को परिभाषित किया जा सकेगा। जेंडर की अपनी कोई मुकम्मल परिभाषा नहीं है कुछ ने इसे भाषा के संदर्भ में देखा तो कुछ ने सामाजिक संदर्भों में इसके अतिरिक्त जेंडर को इतिहास, संस्कृति, प्रकृति, सेक्स और सत्ता से जोड़कर भी देखनें व समझने का प्रयास किया गया। स्त्री के संदर्भ में हमेशा से माना गया कि वह एक 'ऑब्जेक्ट' है फिर वह चाहे पाश्चात्य में किर्केगार्द हो 'जिन्होंने नारी को जटिल रहस्मय सृष्टि माना' या फिर नीत्शे 'जिसने माना कि नारी पुरुष का सबसे पसंदीदा या कहें कि खतरनाक खेल है', वहीं रूसो ने 'स्त्री की निर्मिति पुरुष को खुश करना स्वीकारा'। भारतीय संदर्भों में भी स्त्री को 'सेक्स ऑब्जेक्ट' के रूप में देखा व स्वीकारा गया जहाँ उसकी उपयोगिता पुरुष को खुश करने तक ही सीमित थी। महादेवी वर्मा लिखती हैं 'स्त्री न घर का अलंकार मात्र बनकर जीवित रहना चाहती है, न देवता की मूर्ति बनकर प्राण प्रतिष्ठा चाहती है। कारण वह जान गई है की एक का अर्थ अन्य की शोभा बढ़ाना है तथा उपयोग न रहने पर फेंक दिया जाता है तथा दूसरे का अभिप्राय दूर से उस पुजापे का देखते रहना है, जिसे उसे न देकर उसी के नाम पर लोग बाँट लेंगे।' सामाजिक विकास की प्रक्रिया में सक्रिय प्रागैतिहास कालीन, वैदिक कालीन, ब्राह्मण कालीन सामाजिक व्यवस्था से लेकर आज के समय तक जब भी हम स्त्री के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो उसे पराधीन व सेक्स आब्जेक्ट के रूप में

व्याख्यित करते या देवत्व के बोझ तले खुद के अस्तित्व को दम तोड़ते हुए देखते हैं। इस तरह स्त्री अस्मिता का प्रश्न स्त्री होने के साथ ही कहीं गौण होता गया। अब सोचनीय विचार है की स्त्री होना क्या है ? जिसका जिक्र सिमोन भी करती हैं कि 'स्त्री पैदा होती नहीं बल्कि बनाई जाती है'। सामाजिक नियमों व क्रियाओं के अनुरूप सामजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक आधार पर मनुष्य-मनुष्य में भेद करना और एक को स्त्री और दूसरे को पुरुष रूप में सामाजिक मान्यता देना जैसी सामाजिक प्रक्रिया के पीछे जो सामाजिक 'कंडीशनिंग' काम करती है और जिसका प्रभाव संकोची, कमजोर, शांत, लज्जाशील व अन्य स्त्रियोचित गुणों में ढ़ालने की प्रक्रिया से है जो प्राकृतिक नहीं मानवीय प्रक्रिया के तहत होती है। सामाजिक आधार पर कंडीशनिंग के कारणों को जानना व उसका विश्लेषण जेंडर है। (खेतान, 2000)

प्राचीन भारतीय हिन्दू कानून के निर्माता मनु के अनुसार, "ऐसा माना जाता हैं कि औरत को अपने बाल्यकाल में पिता के अधीन, शादी के बाद पति के अधीन और अपनी वृद्धावस्था या विधवा होने के बाद अपने पुत्र के अधीन रहना चाहिये। किसी भी परिस्थिति में उसे खुद को स्वतंत्र रहने की अनुमति नहीं हैं।" मनु द्वारा महिलाओं के लिये ऊपर वर्णित स्थिति आज के आधुनिक समाज की संरचना में भी मान्य हैं। यदि यहाँ-वहाँ के कुछ अपवादों को छोड़ दे तो महिलाओं को घर में या घर के बाहर समाज या दुनिया में स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं मिली हैं। मुस्लिमों में भी समान स्थिति हैं और वहाँ भी भेदभाव या परतंत्रता के लिए मंजूरी धार्मिक ग्रंथों और इस्लामी परंपराओं द्वारा प्रदान की जाती है। इसी तरह अन्य धार्मिक मान्याताओं में भी महिलाओं के साथ एक ही प्रकार से या अलग तरीके से भेदभाव हो रहा हैं। हमारे समाज में लैंगिक असमानता की दुर्भाग्यपूर्ण बात भी महिलाएँ है, प्रचलित सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियों के कारण उन्होंने पुरुषों के अधीन अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया हैं और वो भी इस समान पितृसत्तात्मक व्यवस्था का अंग हैं।

1.3 भारत में लैंगिक असमानता:

वैश्विक सूचकांक:

- लैंगिक असमानता भारत की विभिन्न वैश्विक लिंग सूचकांकों में खराब रैंकिंग को प्रदर्शित करती हैं। यूएनडीपी के लिंग असमानता सूचकांक - 2014: 152 देशों की सूची में भारत की स्थिति 127वें स्थान पर हैं। सार्क देशों से संबंधित देशों में केवल अफगानिस्तान ही इन देशों की सूची में ऊपर हैं।
- विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांक - 2014: विश्व के 142 देशों की सूची में भारत 114वें स्थान पर हैं। ये सूचकांक में चार प्रमुख क्षेत्रों में लैंगिक अंतर की जाँच करता हैं:
    1. आर्थिक भागीदारी और अवसर
    2. शैक्षिक उपलब्धियाँ
    3. स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा
    4. राजनीतिक सशक्तिकरण।

इन सभी सूचकांको के अन्तर्गत भारत की स्थिति इस प्रकार हैं:

- आर्थिक भागीदारी और अवसर – 134
- शैक्षिक उपलब्धियाँ – 126
- स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा – 141
- राजनीतिक सशक्तिकरण – 15

ये दोनों वैश्विक सूचकांक लिंग समानता के क्षेत्र में भारत की खेद जनक स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। बस केवल राजनीतिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में भारत के कार्य सराहनीय हैं लेकिन अन्य सूचकांको में इसकी स्थिति बहुत खेदजनक हैं और इस स्थिति में सुधार करने के लिये बहुत अधिक प्रयास करने की जरुरत हैं।

लैंगिक असमानता सांख्यिकी

लिंग असमानता विभिन्न तरीकों में प्रकट होता है और भारत में जो सूचकांक सबसे अधिक चिन्ता का विषय हैं वो निम्न हैं:

- कन्या भ्रूण हत्या
- कन्या बाल-हत्या
- बच्चों का लिंग अनुपात (0 से 6 वर्ग): 919
- लिंग अनुपात: 943
- महिला साक्षरता: 46%
- मातृ मृत्यु दर: 1,00,000 जीवित जन्मों पर प्रति 178 लोगों की मृत्यु

ये ऊपर वर्णित सभी महत्वपूर्ण सूचकांक में से कुछ सूचकांक हैं जो देश में महिलाओं की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। कन्याभ्रूण हत्या और बाल-कन्या हत्या सबसे अमानवीय कार्य हैं और ये बहुत शर्मनाक हैं कि ये सभी प्रथाएं भारत में बड़े पैमाने पर प्रचलित हैं। ये आँकड़े प्रदर्शित करते हैं कि कानूनों अथार्त् प्रसव-पूर्व निदान की तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग निवारण) अधिनियम 1994, के बावजूद आज भी लिंग परीक्षण के बाद गर्भपात अपने उच्च स्तर पर हैं। मैकफर्सन द्वारा किये गये एक शोध के आँकड़े प्रदर्शित करते हैं कि भारत में लगभग 1,00,000 अवैध गर्भपात हर साल केवल इसलिये कराये जाते हैं क्योंकि गर्भ में पल रहा भ्रूण लड़की का भ्रूण होता हैं। इसके कारण, 2011 की जनगणना के दौरान एक खतरनाक प्रवृत्ति की सूचना सामने आयी कि बाल-लिंग अनुपात (0 से 6 साल की आयु वर्ग वाले बच्चों का लिंग-अनुपात) 919 हैं जो पिछली जनगणना 2001 से 8 अंक कम था। ये आँकड़े प्रदर्शित करते हैं कि लिंग परीक्षण के बाद गर्भपातों की संख्या में वृद्धि हुई हैं।

जहाँ तक पूरे लिंग-अनुपात की बात हैं, 2011 की जनगणना के दौरान ये 943 था जो 2001 की 933 की तुलना में 10 अंक आगे बढ़ा हैं। यद्यपि ये एक अच्छा संकेत हैं कि पूरे लिंग-अनुपात में वृद्धि हुई हैं लेकिन ये अभी भी पूरी तरह से महिलाओं के पक्ष में नहीं हैं। 2011 के अनुसार पुरुषों की 82.14% साक्षरता की तुलना में महिला साक्षरता 65.46% हैं। ये अन्तराल भारत में

महिलाओं के साथ व्यापक असमानता को प्रदर्शित करता हैं साथ ही ये भी इंगित करता हैं कि भारतीय महिलाओं की शिक्षा की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये सभी संकेतक लिंग समानता और महिलाओं के मूलभूत अधिकारों की ओर से भारत की निराशाजनक स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। इसलिये प्रत्येक साल भारतीय सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करती हैं ताकि इनका लाभ महिलाओं को प्राप्त हो लेकिन जमीनी हकीकत ये कि इतने कार्यक्रमों के लागू किये जाने के बाद भी महिलाओं की स्थिति में कोई खास परिवर्तन नजर नहीं आता। ये परिवर्तन तभी दिखायी देंगें जब समाज में लोगों के मन में पहले से बैठे हुये विचार और रुढ़िवादिता को बदला जायेगा, जब समाज खुद लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं करेगा और लड़कियों को कोई बोझ नहीं समझेगा।

1.4 लैंगिक असमानता के खिलाफ कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा उपाय:

लिंग असमानता को दूर करने के लिये भारतीय संविधान ने अनेक सकारात्मक कदम उठाये हैं; संविधान की प्रस्तावना हर किसी के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लक्ष्यों के साथ ही अपने सभी नागरिकों के लिए स्तर की समानता और अवसर प्रदान करने के बारे में बात करती है। इसी क्रम में महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार प्राप्त हैं। संविधान का अनुच्छेद 15 भी लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान पर अलग होने के आधार पर किये जाने वाले सभी भेदभावों को निषेध करता हैं। अनुच्छेद 15(3) किसी भी राज्य को बच्चों और महिलाओं के लिये विशेष प्रावधान बनाने के लिये अधिकारित करता हैं। इसके अलावा, राज्य के नीति निदेशक तत्व भी ऐसे बहुत से प्रावधानों को प्रदान करता हैं जो महिलाओं की सुरक्षा और भेदभाव से रक्षा करने में मदद करता हैं।

इन संवैधानिक सुरक्षा उपायों के अलावा, विभिन्न सुरक्षात्मक विधान भी महिलाओं के शोषण को खत्म करने और समाज में उन्हें बराबरी का दर्जा देने के लिए संसद द्वारा पारित किये गये है। उदाहरण के लिये, सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1987 के अन्तर्गत सती प्रथा को समाप्त करने के साथ ही इस अमानवीयकृत कार्य को दंड़नीय अपराध बनाया गया। दहेज प्रतिषेध अधिनियम

1961, दहेज की प्रथा को खत्म करने के लिए; विशेष विवाह अधिनियम, 1954 अंतर्जातीय या अंतर-धर्म से शादी करने वाले विवाहित जोड़ों के विवाह को सही दर्जा देने के लिए; प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग निवारण) विधेयक (कन्या भ्रूण हत्या और कई और इस तरह के कृत्यों को रोकने के लिए 1991 में संसद में पेश किया गया, 1994 में पारित किया है।) इलके अलावा संसद समय-समय पर समाज की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार लागू नियमों में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये बहुत से सुधार करती रहती हैं, उदाहरण के लिये, भारतीय दंड संहिता 1860 में धारा 304- बी. को दहेज-केस दुल्हन की मृत्यु या दुल्हन को जलाकर मार देने के कुकृत्य को विशेष अपराध बनाकर आजीवन कारावास का दंड़ देने का प्रावधान किया गया हैं। (हिंदी की दुनिया: 2016)

भारत में महिलाओं के लिये बहुत से संवैधानिक सुरक्षात्मक उपाय किये गए हैं पर जमीनी हकीकत इससे बहुत अलग हैं। इन सभी प्रावधानों के बावजूद देश में महिलाएं के साथ आज भी द्वितीय श्रेणी के नागरिक के रुप में व्यवहार किया जाता हैं, पुरुष उन्हें अपनी कामुक इच्छाओं की पूर्ति करने का माध्यम मानते हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार अपने खतरनाक स्तर पर हैं, दहेज प्रथा आज भी प्रचलन में हैं, कन्या भ्रूण हत्या हमारे घरों में एक आदर्श है।

1.5 भारत में लैंगिक असमानता के कारण और प्रकार:

लैंगिक न्याय बनाना भारत में एक आसान काम नहीं है । प्राचीन काल से ही महिलाओं को एक अवांछित व बोझ के रूप में समाज में स्वीकृत किया जाता रहा हैं । महिलाओं के खिलाफ भेदभाव भी उसके जन्म से पहले ही शुरू होता है । कन्या भ्रूण हत्या और शिशु हत्या जैसी सामाजिक व भीषण बुराइयाँ भी इसी भेदभाव का जीता जागता उदाहरण है । भारतीय संविधान में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं ।

सरकार समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए बराबर प्रावधान करती है,लेकिन फिर भी महिलाओं का बहुमत अभी भी पुरुषों की तुलना में कम है, और वे अब भी गारंटी के अवसरों का आनंद लेने करने में असमर्थ हैं । परंपरागत मूल्य प्रणाली, साक्षरता का स्तर, घर व समाज की जिम्मेदारियों,जागरूकता की कमी उचित मार्गदर्शन, कम गतिशीलता की अनुपलब्धता,

आत्मविश्वास, निराशा, उन्नत विज्ञान और तकनीक की कमी लैंगिक असमानता पैदा करने के लिए जिम्मेदार हैं। इसी तरह गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक रीति-रिवाज, विश्वास और विरोधी रवैया लिंग असमानता का सबसे महत्वपूर्ण कारण हैं। जिनमे कुछ कारणों को नीचे उल्लेखित किया गया हैं।

1.गरीबी:

कुल 30 प्रतिशत लोग अभी भी से जो गरीबी रेखा से नीचे हैं जिनमे भारत में 70 प्रतिशत महिलाएं हैं। भारत में महिलाओं की गरीबी सीधे तोर से आर्थिक अवसरों और स्वायत्तता, क्रेडिट, भूमि स्वामित्व और विरासत, शिक्षा और सहायता सेवाओं और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी कम से कम करने के लिए उपयोग की कमी सहित आर्थिक संसाधनों के लिए उपयोग की कमी के अभाव से संबंधित है। आर्थिक मोर्चे पर महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं है। इस प्रकार गरीबी हमारे पुरुष प्रधान समाज में लैंगिक भेदभाव की जड़ में खड़ी है और समकक्ष पुरुष पर इस आर्थिक निर्भरता से ही लिंग असमानता का एक कारण है।

2. निरक्षरता:

तालिका 1.1: भारत की साक्षरता दर (1951-2011)

क्रम संख्या	साल	पुरुष	महिला	कुल
1	1951	27.16	8.86	18.33
2	1961	40.15	15.35	28.30
3	1971	45.96	21.97	34.45
4	1981	56.38	29.76	43.57
5	1991	64.13	39.29	52.21
6	2001	75.26	63.67	64.83
7	2011	82.14	65.46	74.04

(Source: Census 2011: Provisional Population Total India)

लड़कियों द्वारा शिक्षा की दिशा में प्रगति बहुत धीमी है और लिंग असमानता शिक्षा में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर जारी रहती है। डिग्री पर और स्तर से ऊपर प्राथमिक स्तर पर दाखिले के केवल 43.7%, उच्च प्राथमिक स्तर पर 40 .9%, माध्यमिक स्तर पर 38.6% और 36.9% के लिए लड़की के खाते। शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी नामांकन में 50 प्रतिशत अभी भी नीचे लिंग भेद सभी स्तरों पर सभी राज्य में प्रचलित हो रहा है। वे केवल निरक्षरता के कारण जीवन के सभी क्षेत्रों में पूर्ण पहचान और ताकत का एहसास करने में सक्षम नहीं हैं।

जिस रफ्तार से भारत में आर्थिक प्रगति हो रही है, उस अनुपात में शिक्षा के मामले में देश अपेक्षित तरक्की नहीं कर पाया है । खासतौर पर बालिका शिक्षा की स्थिति चिंताजनक है । सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बेसलाइन सर्वे 2014 की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 17 साल की लगभग 16 प्रतिशत लड़कियां स्कूल बीच में ही छोड़ देती हैं । इस समय देश के 61 लाख बच्चे शिक्षा की पहुंच से दूर है । इस मामले में सबसे खराब स्थिति उत्तर प्रदेश की है जहां 16 लाख बच्चों तक शिक्षा की रोशनी नहीं पहुंचायी जा सकी है । यह आंकड़े यूनिसेफ की वार्षिक रिपोर्ट द स्टेट ऑफ द वर्ल्डस चिल्ड्रेन ने जारी किए हैं । रिपोर्ट के अनुसार स्कूल जाने वाले बच्चों में भी 59 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं । 2013 में मानव विकास मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष पूरे देश में 5वीं तक आते-आते करीब 23 लाख छात्र-छात्राएं स्कूल छोड़ देते हैं । लगभग एक तिहाई सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालयों की सुविधा नहीं है जिस कारण से लड़कियां बड़ी संख्या में स्कूल छोड़ रही हैं ।

3. रोजगार सुविधाओं की कमी:

महिलायें नई आर्थिक और पुराने घरेलू भूमिकाओं के बीच संघर्ष को हल करने में सक्षम नहीं हैं । ग्रामीण और शहरी दोनो में महिलाओं अवैतनिक घर को बनाए रखने के काम में समय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करती है । भारत में पुरुष प्रधान समाज होने के कारण एक घर के भीतर अधिकारों और दायित्वों समान रूप से वितरण नहीं है । इसके अलावा बच्चे पर महिलाओं की श्रम शक्ति की

भागीदारी का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार महिलाओं की बेरोजगारी और समकक्ष पुरुष पर उनकी आर्थिक निर्भरता से ही लिंग असमानता का जन्म होता है, और इसी की वजह से वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पाती है।

4. सामाजिक रीति-रिवाज,मान्यतायें और पद्धति:

महिलायें सामाजिक रीति-रिवाजों, मान्यताओं और प्रथाओं से मुक्त नहीं हैं। पारंपरिक पितृवंशीय संयुक्त परिवार प्रणाली, ज्यादातर घरेलू क्षेत्र के लिए महिलाओं की भूमिका,एक अधीनस्थ स्थिति, अधिकार और शक्ति पुरुषों की तुलना करने के लिए आवंटन। पुरुषों को प्रमुख प्रदाताओं और एक परिवार के संरक्षक के रूप में माना जाता है, जबकि महिलाओं को केवल एक सहायक की भूमिका निभाने के लिए और चूल्हे का काम करने के रूप में माना जाता है। बेटे और बेटी में वरीयता के प्रति अरुचि एक जटिल घटना है, जो अभी भी कई स्थानों में बनी हुई हैं। विशेष रूप से ऊँचे समुदायों में आर्थिक, राजनीतिक और अनुष्ठान की संपत्ति के रूप में जहां बेटियों को देनदारियों माना जाता है। इस प्रकार महिला विरोधी सामाजिक पूर्वाग्रह आज भी हमारे समाज में लैंगिक असमानता का मुख्य कारण है।

लड़के का जन्म होने पर उसका औपचारिक स्वागत किया जाता है, जब इसी प्रकार एक लड़की के जन्म पर दुःख प्रकट किया जाता है। लड़कों के लिए वरीयता का भी समाज में एक कारण है क्योंकि जब लड़का होगा तो उसके लिए जो भी करेंगे वो घर में रहेगा जब कि बेटी के लिए दहेज देना पड़ेगा और वो किसी तरह घर के आर्थिक विकास में योगदान नहीं दे पाती है। इस प्रकार की मानसिकता अभी भी लोगों में व्याप्त है। ठेठ रूढ़िवादी मानसिकता भी इस आधुनिक युग का एक अवैध ढंग रूप से लिंग निर्धारण परीक्षण और गर्भपात के लिए अग्रणी व ज़िम्मेदार है।

माता-पिता को अक्सर लगता है कि रसोई का प्रबंधन,लड़की को पढ़ाने और उसे स्कूल के लिए भेजने की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। कई लोगों का मानना है लड़की को पढ़ाना एक

अनावश्यक वित्तीय बोझ है । माता-पिता की यह रूढ़िवादी विश्वास लिंग असमानता के लिए जिम्मेदार है।

5. जागरूकता का अभाव:

ज्यादातर महिलाएं अपने बुनियादी अधिकारों और क्षमताओं से अनजान हैं । उन्हें अब भी सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक ताकतों को प्रभावित करने के रूप में समझ नहीं है । इस प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार मोटे तौर पर उनकी अज्ञानता और जागरूकता ना होने के कारण हमारे परिवार और समाज में जारी रहता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य केवल लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं करेगा । विडंबना यह है कि अभी भी बड़े पैमाने पर भेदभाव है जो महिलाओं के साथ अन्याय का एक रूप है। देसाई ने कहा है, "अगर महिलाओं को पुरुषों की तरह समान अवसर मिलता है तो वे पुरुषों की तरह हर क्षेत्र में काम कर सकती हैं,अगर आज वह थोड़ा पीछे है तो उसमें उनकी गलती नहीं है, इसके लिए ज़िम्मेदार हमारी परम्परायें है जो उनको सदियों से दबाती चली आ रही है।"

6. घरेलू नौकर:

जब एक लड़का अधिकांश विकासशील देशों में पैदा होता है, घर पर दोस्तों और रिश्तेदारों को बधाई देने वालों का ताँता लगा रहता है ,क्योंकि उनके लिए एक बेटा बीमा का मतलब होता है। अब भी हमारे समाज में जब लड़का होता है तब यह सोचा जाता है कि अपने पिता की संपत्ति के वारिस और परिवार का को आगे ले जाने वाला आ गया । जब एक लड़की का जन्म होता है, प्रतिक्रिया बहुत अलग है । कुछ महिलाओं को रोना आ जाता जब उन्हें पता है अपने घर एक लड़की पैदा हुई है, क्योंकि उन्हें लिए बेटी सिर्फ व्यय है इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसकी जगह पुरुषों की दुनिया में नहीं अपितु घर तक सीमित है । भारत के कुछ भागों में, यह कह कर एक

नवजात लड़की का परिवार में पारंपरिक स्वागत किया जाता है कि , "अपने घर के नौकर पैदा हो गया है।"

घोर गरीबी और महिलाओं के खिलाफ गहरी पूर्वाग्रहों का एक संयोजन भेदभाव है। विकासशील देशों में लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव एक विनाशकारी हकीकत है। अध्ययनों से पता चलता है कि महिलाओं का योगदान देश की सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रगति में सीधा संबंध रखता है। महिलाओं की अच्छी स्थिति एक समाज के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यदि एक हिस्सा ग्रस्त है, तो दूसरे पर तो इसका सीधा-सीधा असर पड़ेगा। दुर्भाग्य से लैंगिक भेदभाव के आघात हमें निराश्रय कर रहे हैं।

7. दहेज:

विकासशील देशों में, एक लड़की का जन्म गरीब परिवारों के लिए महान क्रांति का कारण बनता है। जब वहाँ मुश्किल से पर्याप्त भोजन और जीवित रहने के लिए के लिए संघर्ष करना पड़ता है,वहाँ किसी भी बच्चे का जन्म परिवार के संसाधनों पर दबाव डालता है, लेकिन एक बेटी की मौद्रिक नाली और भी अधिक गंभीर लगती है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां दहेज प्रथा प्रचलित है। दहेज का सामान और पैसा एक दुल्हन का परिवार पति के परिवार के लिए भुगतान करता है। यूनिसेफ का अनुमान है कि लगभग 5,000 भारतीय महिलायें हर साल दहेज से जुड़ी घटनाओं के कारण मारी जाती हैं।

8. सामाजिक-उपेक्षा:

विकासशील देशों में गरीबी से त्रस्त परिवारों में बेटियों को एक आर्थिक दुर्दशा के रूप में देखा जाता है। यह रवैया अफ्रीका, एशिया, और दक्षिण अमेरिका में भी बच्चे व्याप्त है। कई समुदायों में, यह इतना है कि महिलाओं के गर्भवती के रूप में जल्द से जल्द एक लड़के के साथ फिर से पाने के लिए कोशिश करते हैं, और लड़कों की तुलना में लड़कियों को एक छोटे समय के लिए

स्तनपान करवाया जाता है। नतीजतन लड़कियों का विकास व उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है जिसके कारण वे लम्बे समय तक विशेष प्रकार के रोगों से पीड़ित रहती हैं। आंकड़े बताते हैं कि उपेक्षा जारी है इसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर लड़कों की तुलना युवा लड़कियों को कम खाना, स्वास्थ्य सेवा और कम टीकाकरण की सुविधा प्राप्त होती हैं।

9. शिशु और कन्या भ्रूण हत्या:

भारत में 1979 में अल्ट्रासाउंड तकनीक की प्रगति आयी हालांकि इसका फैलाव बहुत धीमे था। लेकिन वर्ष 2000 में व्यापक रुप से फैलने लगा। इसका आंकलन किया गया कि 1990 से, लड़की होने की वजह से 10 मिलियन से ज्यादा कन्या भ्रूणों का गर्भपात हो चुका है। देश में सकल लिंगानुपात की बात की जाये तो यह वर्ष 2001 में 933 था जो 2011 की जनगणना में 940 हो गया है परन्तु भविष्य की ओर जो संकेत प्राप्त हो रहे हैं वे नकारात्मक हैं। भारत में 0-6 आयु वर्ग में लिंगानुपात 2001 में 927 था जो 2011 में घटकर 914 रह गया है। राजस्थान के संदर्भ में बात की जाये तो सकल लिंगानुपात 2001 में 921 था जो 2011 में बढ़कर 926 हो गया है परन्तु 0-6 आयु वर्ग में 2001 में 909 की तुलना में 2011 में 883 रह गया है। राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर जिले में 990 है जो कि वर्ष 2001 में 1022 था, राजसमंद 988 है जहाँ 1000 था, वहीं न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर जिले में 845 है। इसी प्रकार 0-6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात प्रतापगढ़ जिले में 926 है जबकि झुंझुनू में न्यूनतम 831 है।

10.दुर्व्यवहार (गाली):

हर समाज में महिलाओं का दुरुपयोग किया जाता हैं। बलात्कार और विकासशील देशों में महिलाओं के खिलाफ हिंसक हमलों की आवृत्ति खतरनाक है। इथियोपिया में महिलाओं की पैंतालीस प्रतिशत का कहना है कि वे अपने जीवन काल में हमला किया गया है। 1998 में, 48 प्रतिशत फिलिस्तीनी महिलाओं का कहना था कि पिछले एक साल के भीतर उनके साथी द्वारा शारीरिक शोषण करने की वजह से मानसिक आघात पहुँचा हैं।

कुछ संस्कृतियों में, बलात्कार, शारीरिक और मानसिक आघात एक अतिरिक्त कलंक से बढ़ रहा है। संस्कृतियों में महिलाओं के लिए सख्त यौन कोड बनाए जाते है और एक महिला के कदम अगर घर से बाहर है तो उसे सार्वजनिक रूप से छेड़खानी का सामना करना पड़ता है और उसे पग-पग पर हर प्रशन का उत्तर देना पड़ता हैं। जब इस तरह की घटनाये हमारे समाज में होती है तब समाज फ़रमान सुना देता है की तुम्हें समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है क्यों कि तुम्हारी बेटी ने इस समाज को लज्जित किया है। इस तरह की घटनाये हम आए दिन सुनते रहते है, चाहे वो किसी मोल्लवी का फ़तवा हो या फिर खाप पंचायत का फरमान हों।

11. घरेलू श्रम की बाध्यता:

युवा लड़कियों के लिए दैनिक जीवन अभी भी अविश्वसनीय रूप से मुश्किल हैं। स्कूल कुछ वर्षों के लिए एक विकल्प हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लड़कियों की उम्र जब 9 साल या 10 होती है तो उन्हें स्कूल से बाहर निकाल लिया जाता है क्योंकि उन्हें घर का उपयोगी काम करवाया जाता है, और वे पूरे दिन अपने माता पिता के साथ घर के कामों में हाथ बटाने का कम करती हैं। यूनिसेफ की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार हर साल नौ लाख लड़कियाँ लड़कों की तुलना स्कूल जाना छोड़ती हैं। जबकि उनके भाइयों के वर्गों के लिए स्कूल जाने के लिए या अपने शौक को आगे बढ़ाने और खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता हैं।

1.6 लड़कियों पर बुरे व्यवहार का परिणाम:

सारणी क्रमांक 1.2: लड़कियों पर बुरे व्यवहार का परिणाम

साल	समस्या जिनका सामना करना पड़ता है
1.शिशु के जन्म से पहले और एक साल तक	• शिशु मृत्यु दर • स्तनपान और शिशु आहार में भेदभाव • स्वास्थ्य की उपेक्षा (टीकाकरण)
2. 1 से 11 साल के लिए(इस आयु समूह में 1-5 साल और 6-11 साल के बच्चों की विशिष्ट समस्याओं को भी शामिल किया गया है)	• कुपोषण और एनीमिया • पोलियो और दस्त जैसी स्वास्थ्य समस्याए • आयोडीन और विटामिन ए और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी • कम स्कूल में नामांकन और स्कूल का बहिष्कार • तस्करी की चपेट में, बाल श्रम, बाल विवाह • दुर्व्यवहार, शोषण और हिंसा • घरेलू कामकाज • भाई बहन के बाद खोज • गतिशीलता और खेलने पर प्रतिबंध • समग्र उपचार और माता पिता की देखभाल में भेदभाव
3. वर्ष 11 से 18 (किशोर अवस्था)	• कम साक्षरता स्तर • गतिशीलता और खेलने पर प्रतिबंध कुपोषण, aneamia और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण • लगातार बीमारी • बाल विवाह • जल्दी बच्चा पैदा रुग्णता और मृत्यु दर • गरीब पहुँच / सूचना और सेवाओं के लिए इनकार • जल्दी और अक्सर गर्भावस्था गर्भपात के साथ युग्मित • वैवाहिक और घरेलू हिंसा • दहेज उत्पीड़न, परित्याग, बहुविवाह, तलाक • बाल श्रम, तस्करी। • एसटीडी और एचआईवी / एड्स • लंबी दूरी आने के आग को इकट्ठा करने सहित भारी घरेलू काम • लकड़ी / पीने के पानी • अवैतनिक और अपरिचित काम है, और कठिन परिश्रम

(Source: World Health Organization)

विकासशील देशों में प्रतिदिन कामकाज के कार्य अधिक कठिन शारीरिक श्रम के होते हैं । एक लड़की सुबह से लेकर शाम तक कार्य करती है। वह परिवार को जिंदा रखने के लिए पानी की भारी बाल्टी लिए नंगे पैर लंबी दूरी का सफ़र तय करती है। वह साफ सफ़ाई करती है, ईंधन बटोरती है, खेतों के लिए जाती है, उसके छोटे भाई-बहनों को नहलाने का कार्य और भोजन तैयार करती है।

छोटे स्तर पर गाँवों में आधुनिक मशीने नहीं है, इसके कारण खेती के अधिकांश कार्य हाथो से किए जाते है, इसमें सबसे अधिक श्रम लड़कियों को करना पड़ता है वे पूरे दिन खेत में व्यस्त रहती हैं। जब शाम होती है तो ना तो वह अपने दोस्तों से मिल पाती है ना किसी प्रकार की खेलकूद की क्रिया कर पाती है पढ़ाई तो बहुत दूर दूर की बात है। वह रात को इसी आस में सोती है कि सुबह जल्दी जागना है। श्रम के अधिकांश कार्य बिना पुरस्कार के किये जाते है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि हालांकि महिलायें पूरे विश्व का आधा खाद्य उत्पादन करती है, पर वे विश्व की 1 प्रतिशत भूमि की मालिक हैं। अफ्रीकी और एशियाई देशों में महिलाओं के काम को अभी भी असली श्रम नहीं माना जाता है। महिलाओं के श्रम की अनदेखी की जाती है, भले ही यह प्रत्येक परिवार के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है।